45

संख्या :1146/XVII–2/2011–06(51)/2005

प्रेषक,

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम,
देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 19 अक्टूबर, 2011

विषयः–विकलांग व्यक्तियों हेतु जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत ही हैं कि उत्तराखण्ड राज्य की कुल जनसंख्या में शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम विकलांगों की जनसंख्या लगभग 2.3 प्रतिशत है। वस्तुतः ये शारीरिक व मानसिक रूप से भिन्न किस्म की क्षमताओं से युक्त जनसंख्या है इसलिए इस भिन्न क्षमताओं एवं योग्यताओं से युक्त व्यक्तियों के आर्थिक उन्नयन हेतु पृथक से कार्यक्रमों के संचालन करने की आवश्यकता है। अतः सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सामाजिक एवं आर्थिक विकास में इन विशिष्ट क्षमताओं वाले व्यक्तियों के लिये आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिये **पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या–459/XVII–2/2009–06(51)/2005 दिनांक 14 जुलाई, 2009 को निरस्त करते हुये ''विकलांग व्यक्तियों हेतु जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना'' संचालित किये जाने हेतु नये दिशा–निर्देश निर्गत** किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। योजना की रूपरेखा निम्नवत हैः–

कार्यदायी संस्थाः– उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड जो केन्द्र एवं राज्य सरकार का संयुक्त उपक्रम है तथा जिसको शासन द्वारा नियन्त्रित होने एवं व्यावसायिक संस्थाओं से बाह्य सहायतित ऋण एवं अनुदान प्राप्त करने के लाभ प्राप्त हैं, को उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्यदायी संस्था घोषित किया जाता है।

योजना का स्वरूपः– विकलांग व्यक्तियों हेतु जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना के निम्नलिखित घटक होंगे–

1. सूचना संकलन, अध्ययन, प्रचार–प्रसार एवं मूल्यांकन।
2. ऋण।
3. दुकान निर्माण।

अभिभावकों का ऋण आवेदन पत्र संयुक्त रूप से बनाया जाएगा, ऐसे विकलांगों एवं उनके अभिभावकों के लिए सावधि ऋण की सीमा, ब्याज दर, अनुदान एवं लाभार्थी अंश आदि वही होगा जो अन्य विकलांगों के लिए दर्शाया गया है।

2(3) **ऋण योजनाएं एवं वित्तीय स्रोतः–** स्वरोजगार हेतु आयजनित क्रियाकलापों एवं विभिन्न योजनाओं में वित्त पोषण के लिए पात्र विकलांगों के लिए निम्न ऋण योजनायें संचालित की जाएंगी–

(I) **बैंक पोषित ऋण हेतु मार्जिनमनी ऋण योजनाः–** इसके अन्तर्गत रु0 2,00,000.00 लाख तक की लागत के कृषि, उद्योग, व्यापार एवं सेवा के क्षेत्र में स्वरोजगार हेतु पात्र विकलांगों को ऋण बैंकों के माध्यम से स्वीकृत कराया जाएगा जिसके अन्तर्गत अधिकतम 25 प्रतिशत मार्जिनमनी ऋण के रूप में एवं 20 प्रतिशत किन्तु अधिकतम रु 10,000.00 की अनुदान राशि दी जायेगी। शेष धनराशि बैंक ऋण के रूप में होगी।

मार्जिनमनी ऋण की धनराशि उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लि0 की स्वयं की अंशपूंजी से अथवा शासन द्वारा विकलांगों की जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना के लिए आवंटित धनराशि से वहन किया जाएगा। मार्जिनमनी ऋण में ब्याज की दर 4 प्रतिशत वार्षिक होगी, जिसकी ऋण अदायगी लाभार्थी द्वारा 36 समान किश्तों में की जायेगी। सेवा, व्यवसाय एवं लघु उद्योग की वसूली ऋण स्वीकृति तिथि के बाद तीन माह की अवधि के उपरान्त एवं कृषि डेरी ऋणों की वसूली छः माह की अवधि पूर्ण होने के बाद की जाएगी। बैंक ऋण पर ब्याज की दरें बैंकों द्वारा समय–समय पर निर्धारित ब्याज दर के अनुरूप होगी।

(II) **सावधि ऋणः–** 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले लाभार्थियों हेतु जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना में प्राप्त धनराशि से सावधि ऋण (टर्म लोन) स्वीकृत किया जाएगा। सावधि ऋण के तहत रु0 75,000.00 तक की धनराशि तक का ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। जिसमें योजना की लागत का 20 प्रतिशत अथवा रु0 10,000.00 जो भी कम हो अनुदान के रूप में दी जायेगी। सावधि ऋण पर लाभार्थी से 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज की धनराशि ली जायेगी।

(III) **राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम ऋणः–** शासन द्वारा राष्ट्रीय वित्त एवं विकास निगम लि0 से सस्ती ब्याज दरों पर सावधि ऋण (टर्म लोन) प्राप्त करने हेतु उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम को स्टेट चैनेलाइजिंग एजेन्सी घोषित किया गया है तथा राज्य गारण्टी प्रदान की गई है, इसलिए राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं

5. **कौशल वृद्धि हेतु निःशुल्क प्रशिक्षणः–** ऋण धनराशि के सदुपयोग, योजना की सफलता तथा समुचित लाभ प्राप्त करने तथा लाभार्थी की आय में वृद्धि हेतु लाभार्थियों के लिए प्रशिक्षण की भूमिका निःसन्देह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षण मुख्यतः दो प्रकार के होंगेः–

(1) **लघु अवधि प्रशिक्षणः–** लघु अवधि प्रशिक्षण के अन्तर्गत योजना के सम्बन्ध में जागरूकता, सृजन, प्रोत्साहनवर्द्धन, अभिमुखीकरण के अतिरिक्त स्वरोजगार हेतु चयनित लाभार्थियों को संक्षिप्त उद्यमिता विकास प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण सम्मिलित होंगे। इन प्रशिक्षणों की अवधि अधिकतम छः माह होगी।

(2) **दीर्घ अवधि अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षणः–** दीर्घ अवधि अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षण की अवधि छः माह से अधिक किन्तु अधिकतम एक वर्ष होगी। जिसके अन्तर्गत कौशल वृद्धि तथा क्षमता विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। व्यावसायिक प्रशिक्षण सरकारी अथवा प्रतिष्ठित गैर–सरकारी मान्यता प्राप्त/पंजीकृत व्यवसायिक संस्थानों के माध्यम से दिया जाएगा। प्रशिक्षण निःशुल्क होगा।

प्रशिक्षण हेतु गैर सरकारी संस्थानों का चयन नियमानुसार किया जाएगा। कौशल वृद्धि प्रशिक्षण शिक्षित एवं बेरोजगार विकलांगों, जिनकी उम्र 18 वर्ष से 35 वर्ष के मध्य होगी, को दिया जाएगा। चूंकि प्रशिक्षण शत–प्रतिशत निःशुल्क होगा, इसलिए प्रशिक्षार्थी को पृथक से कोई छात्रवृति नहीं दी जाएगी। जहां पर राज्य स्तरीय आवासीय प्रशिक्षण योजना का संचालन किया जाएगा, वहां पर संस्था को अधिकतम रु0 1,000.00 (रुपये एक हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से बोर्डिंग/लॉजिंग के वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी। राजकीय संस्थाओं को उन्हीं की तय दरों पर भुगतान किया जाएगा।

6. **लाभार्थी चयनः–** निगम द्वारा विकलांगजनों हेतु संचालित उक्त सभी स्वरोजगार कार्यक्रमों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की ऋण योजनान्तर्गत लाभार्थियों के चयन हेतु जनपद स्तर पर चयन समिति का गठन निम्नवत किया जाता हैः–

(1)	मुख्य विकास अधिकारी	–	अध्यक्ष
(2)	लीड बैंक अधिकारी	–	सदस्य
(3)	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र	–	सदस्य
(4)	सफल स्वरोजगारी, जो स्वयं विकलांग हो	–	सदस्य
(5)	जिला समाज कल्याण अधिकारी/पदेन जिला प्रबन्धक, उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम	–	सदस्य सचिव

कृपया उपरोक्तानुसार "**विकलांग व्यक्तियों हेतु जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना**" को जनपद स्तर पर कार्यान्वित कराने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त

पृष्ठांकन संख्या :1146/XVII–2/2011–06(51)/2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 समाज कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
2. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव (सम्बन्धित विभाग) उत्तराखण्ड शासन।
4. मण्डलायुक्त, कुमायूं/गढ़वाल उत्तराखण्ड।
5. निदेशक समाज कल्याण उत्तराखण्ड हल्द्वानी नैनीताल।
6. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी उत्तराखण्ड।
7. समन्वयक, राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी, देहरादून।
8. समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तराखण्ड।
9. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी/पदेन जिला प्रबन्धक उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम, उत्तराखण्ड।
10. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. समस्त जिला प्रबन्धक अग्रणी बैंक उत्तराखण्ड।
12. आदेश पंजिका

आज्ञा से,

(बी0 आर0 टम्टा)
अपर सचिव।